रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275405
SG-DL-E-12082026-275405

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2026/श्रावण 21, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 168
No. 236]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026/SHRAVAN 21, 1948	[N. C. T. D. No. 168

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग आयुक्त का कार्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

फा. सं. उद्यो0–ए आई / 6 / 2024 / डीसी (डीकेवीआईबी) / 186-200.—1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 45घ के खंड (ख) के साथ पठित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 8) की धारा 3, 4 तथा धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में शामिल करते हुए उपाध्यक्ष एवं गैर–सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त करते हैं :–

क्र.सं.	नाम	बोर्ड में पद स्थिति
1	श्री तिलक राज कटारिया	उपाध्यक्ष
2	श्रीमती कविता राठौर	सदस्य
3	श्री मोहन गोयल	सदस्य

2. बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उसे प्रदत्त तथा लागू शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

3. यह अधिसूचना दिनांक 17–10–2025 की फा0सं0 उद्यो0–एआई/6/2024/डीसी (डीकेवीआईबी)/167–180 के अनुक्रम में तथा दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं गैर–सरकारी सदस्यों के संबंध में जारी की गई समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की गई बातों को छोड़कर जारी की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

डॉ. सज्जन सिंह यादव, अपर मुख्य सचिव (उद्योग)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

Delhi, the 12th August, 2026

F. No. IND-AI/6/2024-DC(DKVIB)/186-200.— 1. In exercise of the powers conferred by sections 3, 4 and 5 of the Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1966 (Himachal Pradesh Act No. 8 of 1966), as extended to the National Capital Territory of Delhi, read with clause (b) of section 45D of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the following persons as Vice-Chairperson and non-official members, including, of the Delhi Khadi and Village Industries Board:-

S. No.	Name	Status in Board
1.	Sh. Tilak Raj Kataria	Vice-Chairman
2.	Smt. Kavita Rathor	Member
3.	Sh. Mohan Goyal	Member

2. The Board shall exercise the powers and perform the duties conferred and imposed upon it under the said Act, as extended to the National Capital Territory of Delhi.

3. This notification is issued in continuation of Notification No. IND/ AI/ 6/ 2024/ DC(DKVIB)/ 167-180 dated 17-10-2025 and in supersession of all previous notifications issued in respect of the Vice-Chairperson and non-official Members of the Delhi Khadi and Village Industries Board, except as respects things done or omitted to be done before such supersession."

By Order and in The Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. SAJJAN SINGH YADAV, Addl. Chief Secy. (Industries)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA